

**उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर**

**अधिसूचना**

क्रमांक **986** / गोपनीय / 2019  
दो-2-1 / 2019

जबलपुर, दिनांक **31** अगस्त, 2019

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

**सारणी**

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	<b>श्री पूरन सिंह,</b> तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह।	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
2	<b>श्री हरिओम अतलसिया,</b> पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा।	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
3	<b>श्री विकास शर्मा,</b> द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर।	चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
4	<b>श्रीमती अलका दुबे,</b> दसवे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन।	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

**टिप्पणी** :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. **Reg (IT) (SA) /2018/368**, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,


  
रजिस्ट्रार जनरल 31.8.19

पृष्ठांकन क्रमांक **987** / गोपनीय / 2019  
दो-2-1 / 2019

जबलपुर, दिनांक **31** अगस्त, 2019

प्रतिलिपि:-

- 1 उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **दमोह / खण्डवा / इंदौर / उज्जैन** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 3 संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 4 चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 5 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 6 प्रशासनिक अधिकारी, सिविल चेकर / क्रिमिनल चेकर / शिकायत शाखा / डी0 ए0 गोपनीय / डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (गोपनीय शाखा), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल